THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. The original commissioning schedule of the project was 1991-92.

(c) and (d) Yes, Sir. The original approved cost of the project was Rs. 263.16 crores, while the latest estimated cost (December 1992 price level) is Rs. 2020.38 crores.

ताप विद्युत केन्द्रों से प्राप्त होने वाली राख का उपयोग

3790. **श्री राम जेठमलानी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में ताप विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त वहां से भारी मात्रा में राख भी प्राप्त होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अभी प्राप्त होने वाली राख की मात्रा 50 मिलियन टन तक है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का प्राक्कलन क्या है;

(घ) क्या इस राख का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस राख का समुचित उपयोग करके विद्युत उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो उन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनमें सरकार ने विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया में निरन्तर उत्पादित हो रही इस राख के उपयोग से संबंधित योजना को लागू करने का निर्णय लिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी, हां।

(ङ) राख समुपयोजन के कारण विद्युत उत्पादन की लागत पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

(च) भारत सरकार, द्वारा गठित एक कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय ने, विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को उनके ताप विद्युत केन्द्रों में उत्पादित उड़न राख (फ्लाई ऐश) के समुपयोजन को बढ़ाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3791. **श्री राम जेठमलानी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अगस्त, 1994 के "आब्जर्वर" में "गवर्नमेंट रिव्यूइंग पी.एस.यू. रोल इन पावर सैक्टर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद निजी क्षेत्र द्वारा की गई अधिकांश पेशकशों को अभी तक मूर्त-रूप नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार अब सरकारी क्षेत्र में चलाई जा रही संस्थाओं को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आकृष्ट करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने इस संबंध में अब तक अपनी पेशकश प्रस्तुत की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अब तक लगभग 104152 करोड़ रुपये लागत वाली 32662 मे. वा. की क्षमता अभिवृद्धि के लिये निजी क्षेत्र में 75 विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिये, स्वदेशी एवं विदेशी दोनों वित्त पोषक संस्थाओं से वित्त पोषण सुनिश्चित किये जाने के अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से अनेक स्वीकृतियां प्राप्त करनी अपेक्षित होती हैं। उक्त परियोजनाओं के प्रवर्तक अपनी परियोनाओं के लिये अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगे हुये हैं। कुछ परियोजनाओं को अधिकतर स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं और शीघ्र ही वित्तीय समापन प्राप्त करने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) हमारी नीति के अनुसार, सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे बी.एच.ई.एल. और एन.टी.पी.सी. विभिन्न राज्यों द्वारा निजी क्षेत्रों के लिये प्रस्तुत की गई परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु स्वतंत्र हैं। यदि परियोनाएं स्थापित करने के लिए आवश्यक हो तो, तो वे निजी प्रवर्तकों के साथ सहयोग कर सकते हैं।